16/8/23

16/08/23

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा विपक्षीगण के समन डाक द्वारा भेजकर रसीदें पेश की। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने के विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली पर वकील वादीगण की बहस सुनी। आदेश अलग से लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर पत्रावली में शामिल की जावे। पत्रावली नियमानुसार तैयार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, गुढ़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलवी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 82/2023

प्रार्थीगण :—

1. ईराराम पुत्र गेनाराम
2. भूराराम पुत्र गेनाराम
3. मेघाराम पुत्र गेनाराम
4. हीराराम पुत्र गेनाराम
5. चम्पादेवी पत्नी दोलाराम
6. जोगाराम पुत्र दोलाराम
7. भवानीसिंह पुत्र रतनाराम
8. भभूताराम पुत्र रतनाराम
   जाति कलबी निवासी सिन्धासवा हरनियान हाल निवासी सीलू तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. ताराचन्द पुत्र लुम्भाराम
2. चूनाराम पुत्र नारणाराम
3. सांवलाराम पुत्र नारणाराम
4. डूंगरा वल्द नारणाराम
5. मोहन पुत्र नारणाराम
6. गुणेशा पुत्र नारणाराम
   कौम घांची साकिन गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी
7. सुमेर भारती आलमजी का थान कौम स्वामी निवासी आलमजी का थान सीलू
   जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित

1. **श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 16.08.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा सीलू पटवार क्षेत्र गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 14 रकबा 2.6143 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि मौजा मौजा सीलू पटवार क्षेत्र गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 14 रकबा 2.6143 हैक्टेय भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु **भू–अभिलेख निरीक्षक गुड़ामालानी** को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16/8/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

दिनांक : 21/8/23

क्र. वाद / 2023 / 937-

प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण

ईशराम वगैरा | | ताराचन्द वगैरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं......82 / 2023..

निर्णय दिनांक :– 16.08.2023

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम **सीलू** के खेत खसरा नम्बर 14 रकबा 2.6143 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु **भू–अभिलेख निरीक्षक गुडामालानी**.....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये ....500 / –...प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

दिनांक : 21/8/23

क्रमांकः वाद / 2023 / 933-34

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी..........गुड़ामालानी
3. भू–अभिलेख निरीक्षक गुड़ामालानी।
4. हल्का पटवारी....गुडामालानी. को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
5. प्रार्थीगण.........ईशराम वगैरा
6. विप्रार्थीगण.........ताराराम वगैरा....

उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी